राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्ववाद सं.– 23/2019 जीसीएमएस नम्बर – 2019/01061

1. रमेश सिंह पुत्र भोल सिंह उर्फ भोपाल सिंह उम्र 34 वर्ष
2. सरबती पत्नी भोल सिंह उर्फ भोपाल सिंह उर्म 65 वर्ष जातियान राजपुत निवासीगण धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

............वादीगण

बनाम

1. विनोद सिंह
2. सन्जु पुत्रान उच्च बाई पत्नि पन्जी सिंह जाति राजपुत हाल आबाद साथलपुर तहसील बानसुर जिला अलवर (राज0)
3. देवी सिंह पुत्र जमन सिंह जाति राजपुत निवासी धुलवा त0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. पेपसिंह पुत्र जयनारायण (फौत)
   4/1. बजरंग सिंह पुत्र पेपसिंह
   4/2. जयवीर सिंह पुत्र पेपसिंह
   4/3. कृपाल सिंह पुत्र पेपसिंह
   4/4. महावीर सिंह पुत्र पेपसिंह
   4/ 5. निता पुत्री पेपसिंह पत्नि दलीप सिंह जाति राजपुत निवासीगण धुलवा त0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. गुलाबसिह
6. अशोक
7. मिन्टु पुत्री भंवरी बाई जाति राजपूत हाल आबाद साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)
8. मन्जु पत्नि मदन सिंह
9. शिवराज पुत्र मदन सिंह
10. प्रिया पुत्री मदन सिंह
11. रेणु पुत्री मदन सिंह
12. मुंशी सिंह पुत्र जमन सिंह
13. विजयसिंह पुत्र जमनसिह
14. विधा बाई पुत्री जमनसिंह पत्नि माधेसिंह जाति राजपुत निवासी धुलवा हाल आबाद हाथी राम का सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू (राज0)
15. सुमनबाई पुत्री जमन सिंह पत्नि उमेद सिंह जाति राजपुत निवासी धुलवा हाल आबाद हाथीराम का सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू (राज0)
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) ....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:07:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत–खाता विभाजन

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 24–05–2022

वादीगण की और सेवामें पत्र निम्न प्रकार से पेश है–

1. यह कि वाके ग्राम धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 में स्थित जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 126 के ख0न0 58 रकबा 1.74 है0 ख0 न0 300/165 रकबा 0.81है0 ख0 न0 359/56 रकबा 2.11है0 ख0 न0 361/211 रकबा 1.71है0 ख0 न0 365/28 रकबा 6.43है0 ख0 न0 367/162 रकबा 0.47है0 ख0 न0 374/170 रकबा 3.65है0 ख0 न0 375/34 रकबा 1.47है0 कुल किता 8 कुल रकबा 18.39है0 में वादीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार कास्तकार है जिसमे वादीगण का हिस्सा 1/3 भाग है व प्रति0 स0 1 व 2 का 1/24 भाग व प्रति0 स0 3 का हिस्सा 1/24 भाग व प्रति0 स0 4 का 1/3 हिस्सा, प्रति0 स0 5 ल0 7 का हिस्सा 1/24 भाग प्रति0 स0 8 ल0 11 का हिस्सा 1/24 भाग व प्रति0 स0 12 का हिस्सा 1/24 भाग व प्रति0स0 13 का हिस्सा 1/24 भाग व प्रति0 स0 14 का हिस्सा 1/24 भाग व प्रति0 स0 15 का हिस्सा 1/24 भाग दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है व अपने अपने हिस्से पर कब्जा कास्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सयुंक्त खातेदारी में दर्ज है।
3. यह कि वादीगण द्वारा अपनी भूमि का सुधार कार्य व भूमि की किस्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो प्रतिवादीगण को अपने भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया।
4. यह कि वाके ग्राम धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
5. यह कि प्रति0 स0 16 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।
6. यह किवाद पत्र पुर्णकोर्टफीसपरपेशहै।
7. यह कि वाद पत्र नवीनतम जमाबन्दी के साथ पेश है तथा शपथ पत्र वादी पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(क) कि वाके ग्राम धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 मे स्थित जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 126 के ख0 न0 58 रकबा 1.74है0 ख0 न0 300/165 रकबा 0.81है0 ख0 न0 259/56 रकबा 2.11है0 ख0 न0 361/211 रकबा 1.71है0 ख0 न0 365/28 रकबा 6.43है0 ख0 न0 367 [illegible] 0.47है0 ख0 न0 374/170 रकबा 3.65 है0 ख0 न0 375 [illegible] किता 8 कुल रकबा 18.39 है0 में वादीगण का 1/3 हिस्से [illegible] विभाज[illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:07:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभीप्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 21.12.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 08.02.2022 को प्राप्त हुई ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। वकुलाय पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहीर की । अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम धुलवाा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राजस्थान में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता स0 126 के ख0 न0 58 रकबा 1.74है0 ख0 न0 300/165 रकबा 0.81है0 ख0 न0 259/56 रकबा 2.11है0 ख0 न0 361/211 रकबा 1.71है0 ख0 न0 365/28 रकबा 6.43है0 ख0 न0 367/162 रकबा 0.47है0 ख0 न0 374/170 रकबा 3.65है0 ख0 न0 375/34 रकबा 1.47है0 कुल किता 8 कुल रकबा 18.39 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग– अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ–1 लगायत अ–03" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई होतो संबन्धित खातेदार / काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/ रकबे के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 24–05–2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:07:54 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 23 / 2019
निर्णय दिनांकः— 24.05.2022

रमेशसिंह आदि **बनाम** विनोद आदि

<u>दावा बाबत —खाता विभाजन</u>

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** उपस्थिति मे तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **24—05—2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राजस्थान में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता स0 126 के ख0 न0 58 रकबा 1.74है0 ख0 न0 300 / 165 रकबा 0.81है0 ख0 न0 259 / 56 रकबा 2.11है0 ख0 न0 361 / 211 रकबा 1.71है0 ख0 न0 365 / 28 रकबा 6.43है0 ख0 न0 367 / 169 रकबा 0.47है0 ख0 न0 374 / 170 रकबा 3.65है0 ख0 न0 375 / 34 रकबा 1.47है0 कुल किता 8 कुल रकबा 18.39 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग— अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ—1 लगायत अ—03" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई होतो संबन्धित खातेदार / काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/ रकबे के पक्ष में दर्ज किया जावे"

पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24—05—2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:07:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बुहाना